27/07/2021 को संशोधित

गोपनीय

सं.4/27/2021 अ.भा.से.

संघ लोक सेवा आयोग

अखिल भारतीय सेवा शाखा

विषयः- भा.प्र.से. (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के अधीन गैर-राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की भा.प्र.से. के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया ।

संदर्भः-

i. आयोग का निर्णय दिनांक 8.1.1999 तथा दिनांक 25.1.99 का परिपत्र सं. 4/1/99 अ.भा.से.।
ii. आयोग का निर्णय दिनांक 4/1/2002 तथा दिनांक 16/4/2002 का परिपत्र सं. 4/1/2002 अ.भा.से.।
iii. आयोग का दिनांक 22.12.2003 का निर्णय ।
iv. आयोग का दिनांक 29.11.2005 का निर्णय।
v. आयोग का दिनांक 17.03.2017 का निर्णय।
vi. आयोग का दिनांक 27/07/2021 का निर्णय।

आई.ए.एस. (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 5 के उपबंधों के अनुसार सेवा में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति का चयन सेवा अभिलेखों की संवीक्षा और वैयक्तिक साक्षात्कार के आधार पर किया जाता है। आयोग ने दिनांक 22.12.2003 को आयोजित अपनी बैठक में गैर-राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों के साक्षात्कार के संबंध में दिशानिर्देश तैयार किए हैं। गैर-राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की भा.प्र.से.के लिए नियुक्ति हेतु चयन समिति द्वारा अभी तक अपनाए जा रहे दिशानिर्देशों और प्रक्रिया को संदर्भ तथा सुविधा के लिए निम्नानुसार समेकित किया गया है।

कः चयन समिति

भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के अंतर्गत गठित चयन समिति भा.प्र.से. (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 3 के अंतर्गत गठित समिति के समान ही है (प्रति संलग्न)। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिकारी की उम्मीदवारी की उपयुक्तता का आकलन उनके सेवा अभिलेखों की संवीक्षा तथा वैयक्तिक साक्षात्कार के आधार पर किया जाता है। गैर- राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की भा.प्र.से. में नियुक्ति हेतु चयन के लिए चयन समिति की बैठकें नई दिल्ली स्थित संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में आयोजित की जाएंगी।

खः अंकों के वितरण संबंधी दिशा-निर्देश :-

ख.1 चयन समिति गैर- राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की भा.प्र.से. में नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंकों का वितरण सेवा अभिलेखों के आकलन तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार के बीच करेगी, जो इस प्रकार हैः-

I. **अधिकतम 100 अंकों** में से दोनों घटकों में प्रत्येक को निम्नानुसार महत्व दिया जाएगा:-

(i)	पिछले 5 वर्षों की अवधि की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के विशेष संदर्भ में सेवा अभिलेख	50% महत्व (वेटेज) या 50 अंक
(ii)	वैयक्तिक साक्षात्कार	50% महत्व (वेटेज) या 50 अंक
	योग	100 अंक

II. जीवनवृत्त के लिए अतिरिक्त अंक देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि, उम्मीदवार के साक्षात्कार के दौरान उसके समग्र व्यक्तित्व का आकलन करते समय जीवनवृत्त / सी वी को ध्यान में रखा जा सकता है।

(आयोग के दिनांक 8 जनवरी, 1999 के निर्णय के तहत)

ख. 2 पात्र अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के लिए अंक प्रदान करते समय रिकार्ड के आकलन के लिए पदोन्नति विनियमावली के विस्तृत दिशा-निर्देश का अनुपालन किया जाए। प्रत्येक

वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के मूल्यांकन के आधार पर मूल्यांकन के प्रत्येक वर्ष के लिए समिति "उत्कृष्ट" के लिए 9 अंक, "बहुत अच्छा" के लिए 7 अंक, "अच्छा" श्रेणी के लिए 5 अंक और "औसत" के लिए 0 अंक दे सकती हैं।

(आयोग के दिनांक 27 जुलाई 2021 के निर्णय के तहत)

ख. 3 चयन विनियमावली के अंतर्गत भा.प्र.से. में नियुक्ति के लिए चयनित होने वाले गैर- राज्य सिविल सेवा के अधिकारी को **दोनों घटकों** अर्थात् वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट मूल्यांकन तथा वैयक्तिक साक्षात्कार प्रत्येक में कम से कम 50% अंक प्राप्त करने होंगे ।

(आयोग के दिनांक 04 जनवरी, 2002 के निर्णय के तहत)

ख. 4 प्रत्येक पात्र अधिकारी को प्रत्येक घटक में अंक दिए जाने के बाद समिति एक सूची (बैठक के कार्यवृत्त में अनुबंध के रूप में शामिल करने के लिए) तैयार करेगी जिसमें अधिकारियों के नाम; प्रत्येक घटक में प्राप्तांक और प्रत्येक अधिकारी द्वारा कुल प्राप्तांक शामिल होंगे। ऐसे अधिकारी जो दोनों घटकों में से किसी एक में भी 50% से कम अंक प्राप्त करते हैं (पैरा ख-3 में उल्लिखित) उन्हें **"अर्हता प्राप्त नहीं"** के रूप में चिन्हित किया जाएगा । इसके बाद समिति उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम में **अर्हता प्राप्त अधिकारियों में से** रिक्त पदों की संख्या के बराबर अधिकारियों की एक सूची तैयार करेगी, जो चयन द्वारा भा.प्र.से. में नियुक्ति के पात्र होंगे । इस सूची को तैयार करते समय समिति निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखेगीः-

1) यदि कोई भी अधिकारी दोनों घटकों में अर्हता प्राप्त नहीं करता है तो समिति किसी भी अधिकारी के नाम की अनुशंसा नहीं करेगी।
2) यदि दो या दो से अधिक अधिकारी एक समान **कुल अंक** प्राप्त करते हैं और उपयुक्त अधिकारियों की सूची में एक या एक से अधिक को शामिल करना पड़ता है तो इस बराबरी का निवारण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) साक्षात्कार घटक में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अधिकारी को इसमें कम अंक प्राप्त करने वाले अधिकारी (कुल अंक समान होने पर) से वरिष्ठ माना जाएगा।

(ख) यदि अधिकारियों के कुल अंक एक समान हैं और साक्षात्कार घटक में भी एक समान अंक प्राप्त करते हैं तो अधिक उम्र वाले अधिकारी को कम उम्र वाले की अपेक्षा वरीयता प्रदान की जाएगी।

(आयोग के दिनांक 29 नवम्बर, 2005 के निर्णय के तहत)

(ग) उम्मीदवारों के साक्षात्कार संबंधी दिशा-निर्देश

जहां तक साक्षात्कार का प्रश्न है गैर-राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की भा.प्र.से. में नियुक्ति की उपयुक्तता विभिन्न मुद्दों के बारे में उनके ज्ञान और जानकारी के संदर्भ में होनी चाहिए। इस प्रकार उनके नियुक्ति विभाग से संबंधित जानकारी पर आधारित प्रश्नों से शुरू करके उनसे क्षेत्रीय / राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय मुद्दों तथा संबंधित मामलों के प्रश्न भी पूछे जाने चाहिए। साक्षात्कार के लिए निर्देशात्मक पाठ्यक्रम, जो विस्तृत नहीं है, संलग्न किया गया हैः-

(कुमार वैभव गौड़)
संयुक्त सचिव (अ.भा.से.)

<u>सं. 4/27/2021- अ.भा.से.</u>

<u>अनुबंध</u>

<u>भा.प्र.से में नियुक्ति के लिए गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के चयन हेतु वैयक्तिक साक्षात्कार से संबंधित सूचनात्मक पाठ्यक्रम।</u>

1. जिस राज्य में उम्मीदवार पहले से कार्य कर रहा है, उस के इतिहास, संस्कृति और भूगोल की अच्छी जानकारी।

2. भारत के विविध एवं बहु-सांस्कृतिक समाज, इसकी संयुक्त संस्कृति और इसकी समृद्ध धरोहर के क्रमिक विकास के लिए भारत की एतिहासिक पृष्ठ भूमि; भारत के स्वतंत्रता संग्राम और गणतांत्रिक भारत के उदय की विस्तृत जानकारी ।

3. भारतीय राजनीतिक प्रणाली, संसदीय प्रजांतत्र की अवधारणा, सरकार की मंत्रिमंडलीय प्रणाली, सरकार की एकात्मक बनाम संघात्मक प्रणालियां, विधि नियमावली, अधिकार, न्यायिक समीक्षा आदि; भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संघवाद, केन्द्र - राज्य संबंध, क्षेत्रीय विषमताएं, क्ष्ोत्रीय पहचान एवं संघर्षों का विस्तृत परिदृश्य ।

4. भारत की अर्थव्यवस्था, आर्थिक असमानताओं और सामाजिक विषमताओं की मूलभूत जानकारी। भारत के विकासात्मक मुद्दे और लक्ष्य। भारत का आंतरिक और बाहय व्यापार। भारत की मौद्रिक और वित्तीय नीतियां। सामाजिक और आर्थिक विकास तथा मानव विकास सूचकांक में सुधार के लिए सरकारों (केंद्र तथा राज्य) की भूमिका, उत्तरदायित्व और कार्यनीति का निरूपण। भारत के आंतरिक व्यापार, कराधान, अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रबंधन में उभरती हुई प्रवृतियां और मुद्दे। वित्तीय प्रणाली का डिजिटलीकरण, भ्रष्टाचार में कमी और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।

5. शासन में उभरती प्रवृतियां, सुशासन पद्धतियां, ई-गवर्नेंस, शासकीय मामलों में सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग, शासन में सोशल मीडिया की भूमिका और प्रभाव, सिटीजन चार्टर, इस उद्देश्य अर्थात आरटीआई, लोकपाल आदि को आगे बढ़ाने में सरकार की नीतियों और पहलों सहित शासन में पारदर्शिता, सेवा सुपुर्दगी की गुणवत्ता, समावेशी विकास एवं महिला सशक्तिकरण, आपदा प्रबंधन, सार्वजनिक निधि के उपयोग के लिए सरकार की नीतियां और पहलें और शासन की ऐसी अन्य जानकारी जो एक सिविल सेवा अधिकारी के पास होनी अपेक्षित है।

6. भारत की मानवीय पूंजी, भारत की जनसंख्याकीय रूपरेखा, 'जनसांख्यिकीय लाभांश' का लाभ प्राप्त करने के लिए भारत की नीतियां और कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता ।

7. भारत की पारिस्थितिकी और पर्यावरण के प्रति मूलभूत जागरुकता, 'ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन' के प्रति भारत की अतिसंवेदनशीलता, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन आदि के आसन्न जोखिमों और खतरों से अनुकूलन के लिए भारत की तैयारी, नीतियां और कार्यक्रम। विकास परियोजनाओं का पारिस्थितिकीय आकलन, बजट और विकास कार्यक्रमों में पर्यावरणीय लागतों का एकीकरण। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारिस्थितिकी और पर्यावरण में उभरते हुए मुद्दे और विकास।

8. जैव-विविधता सहित भारत के प्राकृतिक संसाधन आधार के प्रति मूलभूत जागरूकता । प्राकृतिक संसाधनों के न्यायसंगत और सतत उपयोग की अवधारणा। अनुवांशिक संसाधनों सहित प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सरकारों (केंद्र तथा राज्य) की भूमिका, उत्तरदायित्व, योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम।

9. सतत विकास की अवधारणा, इस संबंध में उभरते हुए मुद्दों और प्रवृतियों के प्रति जागरूकता। ''सतत विकास लक्ष्य'' को प्राप्त करने में भारत की तैयारी और कार्यक्रम।

10. भारत के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय शक्ति और प्रगति के प्रति जागरूकता, एक हाईटेक, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का विकास; और भारत की एक उन्नत देश के रूप में परिकल्पना।

11. अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र में हुई प्रगति के प्रति विस्तृत जागरुकता। भू-राजनीति, अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता और संघर्षों में उभरती हुई प्रवृतियां। संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न संघ एवं समूह जैसे एशियन, ब्रिक्स, जी4, जी20, बिम्सटेक, एस सी ओ आदि और महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन। भारत एक उभरती हुई आर्थिक और क्षेत्रीय शक्ति के रूप में, भारत के सामरिक हित और मूल चिंताएं। व्यापार संबंधों सहित भारत के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंध। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उभरती हुई प्रवृत्तियों और प्रगति के प्रति जागरुकता और उनका भारत पर प्रभाव; वैश्वीकरण की घटनाएं, भारत का वैश्वीकरण में एकीकरण, वैश्वीकरण के परिणाम आदि, तथा वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था के ज्ञान से संबंधित ऐसे अन्य पहलू जिन्हें एक सिविल सेवा अधिकारी को जानना अपेक्षित है ।

(आयोग के दिनांक 17 मार्च, 2017 के निर्णय के तहत)

(कुमार वैभव गौड)
संयुक्त सचिव (अ.भा.से.)